फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती गीता — बनाम — विपक्षी : श्री भगवान लाल

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम — पत्रावली संख्या : 74/24

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 05.11.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 से 5 अनुपस्थित। आवाजें दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में विपक्षी संख्या 6 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थीया के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पैतृक भूमि हैं जिसमें प्रार्थीया का प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में जन्म से हिस्सा हैं जिसमें भगवान दास जी (प्रतिवादी संख्या 1) के नाम दर्ज भूमि में 1/3 हिस्सा प्रार्थीया का हैं। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार भगवान दास जी परिवार के मुखिया हैं तथा वृद्ध हैं एवं उनकी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति कमजोर है जिसका नाजायज फायदा उठाकर विपक्षी संख्या 5 प्रार्थनाग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा हैं जिससे प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षीगण द्वारा प्रार्थनापत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि में विपक्षी संख्या 1 के नाम परिशिष्ट (क) की खाता संख्या में 2/3 हिस्सा, परिशिष्ट (ख) की खाता संख्या में 1/3 हिस्सा, परिशिष्ट (ग) की खाता संख्या में 1/3 हिस्सा खातेदारी से दर्ज हैं। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत राजरे अनुसार प्रार्थीया विपक्षी संख्या 1 की पुत्री हैं। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि को पैतृक सम्पति होना बताया हैं जिससे प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीया का हक हिस्सा निहित हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है या नहीं इस बिन्दु को मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय किया जायेगा। प्रथम दृष्टया प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीया का हित निहित होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा कलवल पटवार हल्का वरणी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2078–81 की परिशिष्ट (क) की खाता संख्या नया 199 की आराजी नम्बर 1615 से 1618 किता 4 रकबा 1.5400 है., परिशिष्ट (ख) की खाता संख्या नया 162 की आराजी नम्बर 1640, 2101/1615, 2102/1616, 2103/1616 किता 4 रकबा 1.6300 हैं व परिशिष्ट (ग) की खाता संख्या नया 92 की आराजी 1565/1568, 2100/1563 किता 3 रकबा 0.4200 हैक्टयर भूमि में विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 13:00:29 IST
Reason: SelfAttested